HEAT WAVE
ACTION PLAN 2025
UDAIPUR

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर

क्रमांकः एफ.14( )12/आ.प्र.सहा.एवंना.सु./2024/179   दिनांक   यथाहस्ताक्षर

प्रेषिति :—

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर (राज.)

विषय :— हीट—वेव एक्शन प्लान भिजवाने बाबत्

प्रसंगः— आपके पत्रांक राजकाज रे0न0 14444908 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्तमान में हीट—वेव से बचाव एंव रोकथाम हेतु हीट—वेव एक्शन प्लान चाहा गई है। लू—ताप से बचाव एंव रोकथाम के संबंध में समस्त विभागों के अधिकारीयों की बैठक को आयोजित की गई एंव लू—ताप से बचाव के लिए किये गये सुरक्षात्मक उपाय की समीक्षा की गई व जन साधारण को अवगत करानें हेतु विभागों को निर्देशित किया गया एंव नियमित रूप से उपायों व प्रबंधनों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

क्र. स.	विभाग	एक्शन प्लान
1.	जिला स्तर पर	• जिला आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर द्वारा विभाग से प्राप्त हिट वेव एडवाईजरी को इस कार्यालय के पत्रांक 155 दिनांक 09.04.2025 द्वारा सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को हीट वेव 2025 हेतु आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया एवं उक्त एडवाईजरी को जिला सूचना एवं जन संपर्क विभाग को स्थानीय समाचार पत्र में प्रचार—प्रसार करने प्रेषित किया गया। • समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को बैठक में गर्मी के संबंध में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य आदि के बारे में नियमित निरक्षण की जाकर मोनिटंरीग करने के निर्देश प्रदान किये गए। • समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को सीएचसी/पीएचसी एंव अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था आइस—पैक, प्राथमिक चिकित्या एंव ओआरएस की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गए। • जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में ली गई बैठक में हिट वेव 2025 के संबंध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में दिनांक 09.04.2025 को जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें लू—ताप से बचाव एंव रोकथाम के संबंध में संबंधित निर्देश प्रदान किये गये। • इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा जिलें के जिला स्तरीय अधिकारीयों एंव गैर सामाजिक संस्थाओं, की बैठक ली जाकर संस्थाओं के माध्यम से भी चिन्हित स्थलों पर शीतल पेयजल, आश्रय स्थल, छाछ आदि की व्यवस्था की गई है।
2	नगर निगम, उदयपुर	• बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, पर्यटन स्थलों, शहर के प्रमुख चौराहों सहित कुल 28 स्थानों पर छाया/टेन्ट की व्यवस्था की गयी है। • उपरोक्त 28 स्थानों पर नगर निगम द्वारा कैम्पर के माध्यम से स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है। • उपरोक्त चिन्हित स्थानों पर एक—एक स्टाफ नियुक्त [illegible] जाकर ओआरएस की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। • शहर स्थित समस्त श्री अन्नपूर्णा रसोई, आश्रय [illegible] बिजली के पंखे कूलर की सुविधायें [illegible] निरीक्षण कर व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है।

Signature valid
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.28 1[illegible]:31:29 IST
Reason: Approved

		• स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के आदेश की पालना में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना का समय सुबह 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। • शहर के प्रमुख सड़कों पर एन्टीस्मोगन मशीन के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाकर यात्रियों को भीषण गर्मी से राहत प्रदान की जा रही है। • पक्षियों के लिये नगर निगम द्वारा 400 परिण्डे क्रय किया जाकर विभिन्न स्थानों पर रखवाये जा रहे है। • पशुओं के लिये पानी की कुण्डिया क्रय की जाकर विभिन्न स्थानों पर रखवाये जा रहे है। • विभिन्न कार्यालयों जैसे मुख्य भवन, फायर/गैराज भवन व कार्यालयों में पीने के ठण्डे पानी की समुचित व्यवस्था की जा रही है। • ग्रीष्मऋतु में आगजनी की बढती घटनाओं को ध्यान में रखकर अतिरिक्त मानव संशाधन की व्यवस्था की जाकर फायर टीम को एलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है।
3	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	• जिला सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा कार्यालय हाजा के निर्देशानुसार हीट वेव के संबंध में आमजन हेतु एडवाईजरी जारी की गई है। जिसमें आमजन, बुजुर्गो, बच्चो और गर्भवती महिलाओं को गर्मी, ताप एवं लू से सावधानियां तथा बचाव के उपयों का आमजन से प्रचार–प्रसार किया गया है।
4.	चिकित्सा विभाग	• हीटवेव की स्थिति को देखते हुये जिले के सभी चिकित्सा संस्थान जिनमें जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल पर 10, सीएचसी पर 06 एंव पीएचसी पर 02 बेड आरक्षित किये गये है। सभी संस्थानों पर एसी/कूलर/पंखे की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। सभी जगहो पर ओआरएस कॉर्नर बना दिये गये है। सभी संस्थानों पर लॉजिस्टिक एंव इवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी संस्थानों पर पेयजल हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था है। • साथ ही जिले के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में लू, तापघात से ग्रसित मरीजों को प्राथमिकता से ईलाज हेतु आपातकालीन ईकाई(मेडिसिन विभाग) में 10 बेड एंव आपातकालीन ईकाई(बाल चिकित्सालय विभाग) में 5 बेड आरक्षित किए गए है। समस्त वार्डो में ट्रीटमेंट हेतु दवाईयों की उचित व्यवस्था एंव इमरजेंसी कीट की व्यवथा है। • मरीजों के ईलाज एंव मोनेटरींग हेतु रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन किया गया है। • अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0, आई0वी0 ड्रीप सेट एंव आईस पैक्स की व्यव्स्था है। • चिकित्सालय में हीट वेव से संबंधि गाईडलाईन सर्कुलेट कर दी गई है एंव स्टाफ को उचित ट्रेनिगं दी जा रही है। • हीट वेव की early warning dissemination को पीचसी, सीएचसी जिला अस्पतालों एंव मेडिकाल कॉलेजो से सम्बद्व अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है। • हीट वेव हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.28 1?:31:29 IST
Reason: Approved

5.	जिला परिषद्	• ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्रांम पंचायतों एंव जनसहोयग / भामासाहों को प्रेरित करते हुए सार्वजनिक एंव पर्यटन स्थलों एंव मुख्य ट्रैफिक सिग्नलों, बस स्टेण्ड इत्यादि पर पीने का पानी, ओ0आर0एस पैकेट,छाया की व्यवस्था सुनिष्चित की जा रही है। • नरेगा श्रमीको हेतु दिन के पीक हीट वेव में काम के समय में परिर्वतन की समुचित पालना करवाए एवं अन्य श्रमीकों तथा मजदूरों के कार्य समय के संबंध में एडवायजरी जारी करना।
6.	जन स्वा. अभि. विभाग	• पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल श्रोतों के नियमित संरक्षण रख रखाव एंव पूर्ण तैयारी करने हेतु निर्देश प्रदान किये गए अभाव वाले स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था एवं हीट वेव की स्थिति में पानी के छिड़काव की स्थिति आने पर पानी टैंकरस की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गए साथ ही नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है।
7.	श्रम कल्याण विभाग	• श्रम विभाग द्वारा उदयपुर जिले में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों का जिले की समस्त चौखटियों पर जाकर मजदूरों को हीट वेव से बचने हेतु जागरूक करने तथा उनके जागरूक हेतु पालना सुनश्चित करवाई जा रही है। • हीट वेव के दौरान श्रमिकों के काम के समय में बदलाव की व्यवस्था की जा रही है। • श्रमिकों के लिए सीधी धूप से बचने के लिए श्रम साध्य कार्यो को दिन में कम ताप वले समय मे ही करने के अवसर दिया जा रहा है। • समस्त संस्थानों में मजदूरों के लिए पेयजल की व्यवथा, दवाईयों की व्यवस्था एंव स्वास्थ्य परीक्षण आदि की व्यवस्था की जा रही है। • भवन निर्माण मालिकों एंव निर्माण मजदूरों को प्रचण्ड गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए छाया पानी, दवाईयें इत्यादि की समुचित व्यवस्थ की जा रही है।
8.	पशुपालन विभाग	• पशुपालन विभाग को जिलें में पशुओं के लिए पानी व चारे की समुचित व्यवस्था रखने, जिलें में स्थिम गौशालाओं व नन्दी शालाओं का निरक्षण कर छाया पानी एंव चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनें हेतु निर्देशित किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के लिए पानी की टंकी लगाने एंव चारा उपलब्ध करानें के साथ लू–ताप से बचाव हेतु आवश्यक छाया की व्यवस्था अस्थाई आश्राय स्थल अथवा निकतम गौशालाओं में करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही पशु चिकित्यालयों पर लू–ताप से होने वाले रोगों के उपचार हेतु दवाईया एंव स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। • पशुपालन विभाग द्वारा जिलें में पशुओं के लिए पानी व चारे की समुचित व्यवस्था रखने, जिलें में स्थिम गौशालाओं व नन्दी शालाओं का निरक्षण कर छाया पानी एंव चारे की पर्याप्त उपलब्धता की जार रही है।
9	विधुत विभाग	• लू–ताप के दौरान निर्बाध विधुत सप्लाई कि जा रही है एंव आवश्यक मुख्य पावर स्टेशनो पर विधुत सप्लाई बाधित ना हो उसकी पूर्ण व्यवस्थ की जा रही है।
10	शिक्षा विभाग	• सभी सरकारी एंव गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त हवा हेतु पंखों एंव छाया (Shade) आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। • सभी विद्यालयों में छात्र–छात्रओं के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। • सभी स्कूलों में भीषण गर्मी, हीट वेव लू से बचाव [illegible] एवं उल्टी, अपचन, जी घबराहट ज्वर से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह से विद्यार्थियों की उम्र अनुसार आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार

Signature valid
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.28 1[illegible]:31:29 IST
Reason: Approved

		किट(First Aid Kit) में पर्याप्त आवश्यक दवाए एंव ORS Kit की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। • कोई भी प्रशिक्षण या ड्रिल, पी0टी0, आउटडोर, गतिविधियां अथवा कैम्प भीषण गर्मी के दौरान नहीं करवाएं जाने के निर्देश प्रदान किये गए है।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.28 1?:31:29 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर

क्रमांकः एफ.14( )12/आ.प्र.सहा.एवंना.सु./2024/149 दिनांक 08/04/2025

आदेश

जिले में **हीट वेव** की तैयारी और शमन उपाय हेतु दिनांक 09.04.2025 को प्रातः 10.00 बजे जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में **DOITC VC** कक्ष में बैठक आयोजित की जाऐगी जिनमें निम्न अधिकारी उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उदयपुर।
2. आयुक्त नगर निगम उदयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी समस्त, उदयपुर।
4. प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, उदयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 उदयपुर।
8. उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग उदयपुर।
9. सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, उदयपुर।
10. सयुक्त निदेशक श्रम कल्याण विभाग, उदयपुर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर ।
12. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक/माध्यमिक) उदयपुर।
13. सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा उदयपुर।
14. उपनिदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग उदयपुर।
15. तहसीलदार समस्त, उदयपुर।

नोटः— समस्त उपखण्ड अधिकारी एंव तहसीलदार विडियों कान्फ्रेंस (VC)के माध्यम से हीट वेव से संबंधित सभी ब्लाकॅ लेवल के अधिकारीयों के साथ जुडना सुनिश्चित करेगें।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा,उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

उपनिदेशक, सूचना एंव प्रोद्योगिकी संचार विभाग उदयपुर को भेजकर लेख है 09.04.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक **विडियों कान्फ्रेंस (VC)** स्लाट बुक करे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा,उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर

क्रमांक : एफ( )/जिआप्रप्रा/सहायता/2025/150 दिनांकः 09/04/2025

—:बैठक कार्यवाही विवरण :—

जिल में हीट वेव की तैयारी और शमन उपाय हेतु 2025 में भीष्ण गर्मी के दौरान संभावित लू—ताप से बचाव एंव रोकथाम वाली स्थिति पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में दिनांक 09.04.2025 को प्रातः 10.00 बजे **DOITC VC** कक्ष में जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहेः—

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उदयपुर।
2. आयुक्त नगर निगम उदयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी समस्त, उदयपुर।
4. प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, उदयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 उदयपुर।
8. उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग उदयपुर।
9. सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, उदयपुर।
10. सयुक्त निदेशक श्रम कल्याण विभाग, उदयपुर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर ।
12. सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा उदयपुर।
13. उपनिदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग उदयपुर।
14. तहसीलदार समस्त, उदयपुर।

लू—ताप से बचाव एंव रोकथाम के संबंध में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समस्त विभागों के अधिकारीयों की बैठक को आयोजित की गई एंव लू—ताप से बचाव के लिए किये गये सुरक्षात्मक उपाय की समीक्षा की गई व जन साधारण को अवगत करानें हेतु विभागों को निर्देशित किया गया एंव पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमित रूप से उपायों व प्रबंधनों का नियमित निरीक्षण किया जाने हेतु निर्देशित किया गया एंव निम्न विभाग और उनके अधिकारीयों को लू—ताप से बचाव के लिए पूर्व तैयारी एंव स्थिती से निपटने के लिए निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः—

क्र. स.	विभाग	प्रदान किये गये निर्देश
1.	जिला स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एंव तहसीलदार	• जिला आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा प्राप्त हिट वेव एडवाईजरी को द्वारा सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को हीट वेव 2025 हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गए। • समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को बैठक में गर्मी के संबंध में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य आदि के बारे में नियमित निरक्षण की जाकर मोनिटंरीग करने के निर्देश प्रदान किये गए। • समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को सीएचसी/पीएचसी एंव अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था आइस पैक, प्राथमिक चिकित्सा एंव ओआरएस की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गए।

Signature valid
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 1[illegible]:11:24 IST
Reason: Approved

		• साथ ही सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों पर पेयजल एंव छाया की व्यवस्था हो इसकी नियमित निरक्षण किया जाकर सुनिश्चिता कि जाऐ इस हेतु निर्देशित किया गया
2.	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	• जिला सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा कार्यालय हाजा के निर्देशानुसार हीट वेव के संबंध में आमजन हेतु एडवाईजरी जारी की गई है। जिसमें आमजन, बुजुर्गो, बच्चो और गर्भवती महिलाओं को गर्मी, ताप एवं लू से सावधानियां तथा बचाव के उपयों का आमजन से प्रचार–प्रसार किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3.	चिकित्सा विभाग	• चिकित्सा विभाग की टीम को हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी में एंव डेडिकेटेड वार्ड आरक्षित रखने हेतु एंव पर्याप्त मात्रा में दवाईयां, आईस– पैक और प्राथमिक चिकित्या उपलब्धता हेतु निर्देशित किया गया। • गर्मी एवं लू से बचाव हेतु मरीज के लिए अलग से चिकित्सा वार्ड जिसमें पंखे कूलर की व्यवस्था हो • हीट वेव की early warning dissemination को पीचसी, सीएचसी जिला अस्पतालों एंव मेडिकाल कॉलेजो से सम्बद्व अस्पतालों तक पहुंचाना • हीट वेव हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। • सभी खण्ड मुख्यालयो पर एवं सभी सीएचसी/पीएचसी पर रेपीड रेस्पोंस टीम का गठन करना। • सभी चिकित्सा संस्थानों पर ORS सहित आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। • 108 एम्बूलेंस, बेस एम्बूलेंस तथा एमएमयू एवं एमएमवी को ऑनरोड रखे जाने के निर्देष प्रदान किये जाऐं।
3.	जिला परिषद्/नगर निगम	• ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्रांम पंचायतों एंव जनसहोयग/भामासाहों को प्रेरित करते हुए सार्वजनिक एंव पर्यटन स्थलों एंव मुख्य ट्रैफिक सिग्नलों, बस स्टेण्ड इत्यादि पर पीने का पानी, ओ0आर0एस पैकेट,छाया की व्यवस्था सुनिष्चित करना • नरेगा श्रमीको हेतु दिन के पीक हीट वेव में काम के समय में परिर्वतन की समुचित पालना करवाए एवं अन्य श्रमीकों तथा मजदूरों के कार्य समय के संबंध में एडवायजरी जारी करना।
4	महिला एंव बाल विकास विभाग	• महिलाओं और बच्चो को धूप में बाहर जाने से बचने के लिए आग्रह करना खासकर दोपहर 12 और 4 बजे के बीच • ग्रामीण क्षैत्रो में महिलाओं और बच्चो को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए आग्रह करने के निर्देश प्रदान किये गये • बच्चो का चक्कर आएं, उल्टी, घबराहट अथवा तेज सरदर्द अथवा सीने में दर्द हो तो उसे डाक्टर को दिखाया जाऐ। • हल्के रंग के ढीले सूती कपडे पहनने के लिए प्रेरित

Signature valid
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 13:11:24 IST
Reason: Approved

		• महिलाओं और बच्चो को सिर ढककर रखने के लिए आग्रह करना
5.	जन स्वा. अभि. विभाग	• पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल श्रोतों के नियमित संरक्षण रख रखाव एंव पूर्ण तैयारी करना • अभाव वाले स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था / टैंकरस की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। • हीट वेव की स्थिति में पानी के छिड़काव की स्थिति आने पर पानी टैंकरस की व्यवस्था सुनिष्चित किये जाऐ साथ ही नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना
6.	श्रम कल्याण विभाग	• जिल श्रम कल्याण अधिकारी, उदयपुर अनुसार जिलें में कार्यरत औद्योगिक संस्थानो के प्रबंधको को प्रचण्ड गर्मी के दुष्प्रभावो से बचने के लिए जिले में कार्यरत मजदुरों एवं नियोजकों को जागरूक किया जाऐं। • हीटवेव के दौरान काम के समय में बदलाव या षेड्यूल में बदलाव की सलाह दी जाऐं • श्रमिकों के लिए सीधी धूप से बचने के लिए एंव श्रमसाध्य कार्यो को दिन के कम ताप वाले समय में ही करने हेतु सलाह दी जाऐं • समस्त संस्थानों में मजदूरों के पेयजल की व्यवस्था, दवाईयों की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य परिक्षण आदि • श्रम निरीक्षकों को निर्माण कार्यो के सर्वे के साथ–साथ भवन निर्माण मालिकों एवं निर्माण मजदूरो को प्रचण्ड गर्मी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रषिक्षण दिया जाए।
7.	पशुपालन विभाग	• पशुपालन विभाग को जिलें में पशुओं के लिए पानी व चारे की समुचित व्यवस्था रखने, जिलें में स्थित गौशालाओं व नन्दी शालाओं का निरक्षण कर छाया पानी एंव चारे की पर्याप्त उपलब्धता करने हेतु हेतु निर्देशित किया गया। • सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं के लिए पानी की टंकी लगाने एंव चारा उपलब्ध करानें के साथ लू–ताप से बचाव हेतु आवश्यक छाया की व्यवस्था अस्थाई आश्राय स्थल अथवा निकतम गौशालाओं में करने हेतु हेतु निर्देशित किया गया। • साथ ही पशु चिकित्यालयों पर लू–ताप से होने वाले रोगों के उपचार हेतु दवाईया एंव स्टाफ की उपलब्धता सुनिष्चित हेतु निर्देशित किया गया। • साथ ही पशुओं से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न लिया जाने हेतु हेतु निर्देशित किया [illegible]
8	विधुत विभाग	• लू–ताप के दौरान निर्बाध विधुत [illegible] स्टेशनो पर विधुत सप्लाई बाधित ना हो उसकी [illegible] की जायें।

Signature valid
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 13:11:24 IST
Reason: Approved

		• **Critical Facilities** जैसे हॉस्पिटल इत्यादि में प्राथमिकता के आधार पर पावर सप्लाई करना सुनिष्चित करे।
9	शिक्षा विभाग	• जिलें के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों भवनों में हवा रोशनी के साथ प्राथमिक उपचार किट एंव पेयजल की व्यवस्थाओं का नियमित निरिक्षण करना। • साथ ही संस्था प्रधान को बच्चों को लू–ताप के प्रभाव एंव होने वाली बिमारियों एंव उनके लक्षण व उपचार से अवगत कराने हेतु निर्देषित करना। • स्कूलों के समय में हीट वेव को देखते हुए आवष्यक परिर्वतन की समचित पालना एंव आउटडोर गतिविधियों नही करें।

विशेषतः उपखण्ड अधिकारी अधिशाषी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि को निर्देशित किया कि अत्यधिक गर्मी की स्थिती में यदि किसी व्यक्ति में लू से प्रभावित हो तो उसे तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ल जाया जाकर उसे प्राथमिक उपचार दिया जाना सुनिश्चित करावें। उपखण्ड अधिकारी इस कार्य की मोनिटरिंग करे। उनके क्षैत्र में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य आदि के बारे में नियमित निरक्षण की जाकर मोनिटंरीग कराना सुनिश्चित करावें। उनके क्षेत्रों में लू– ताप से दुष्प्रभावों से बचने के लिए विधालयो में सस्थां प्रधानो के माध्यम से बच्चो को जागरूक किया जाए समस्त उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करावें।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उदयपुर।
4. आयुक्त नगर निगम उदयपुर।
5. उपखण्ड अधिकारी समस्त, उदयपुर।
6. प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, उदयपुर।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लि0 उदयपुर।
10. उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग उदयपुर।
11. सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, उदयपुर।
12. सयुक्त निदेशक श्रम कल्याण विभाग, उदयपुर।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर ।
14. सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा उदयपुर।
15. उपनिदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग उदयपुर।
16. **तहसीलदार समस्त, उदयपुर।**
17. अधीक्षक महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर।
18. निजी सहायक, जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.09 13:11:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14694816

कार्यालय अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Telephone No.0294-2413278, E-mail ID: oicreliefudaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ( )/जिआप्रप्रा/सहायता/2025/ 180 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

–: कार्यालय आदेश :–

जिले में भीषण गर्मी के मध्यनजर रखते हुए **लू–ताप, बिजली एंव पेयजल समस्या** हेतु अग्रिम आदेश तक निरन्तर (24X7 Round The Clock) संचालित किया जाने हेतु **जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष (Emergency Operation Centre) स्थापित** किया जाता है।

लू–ताप, बिजली एंव पेयजल समस्या से संबंधित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन, उदयपुर मो.नं. 9571973272 कार्यालय दूरभाष नम्बर 0294–2413278 होगें। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष पर सहायक प्रभारी अधिकारी श्री बलवीर सिंह राठौर, ब्लॉक कॉर्डिनेटर साक्षरता, वल्लभनगर, उदयपुर(9460728886) रहेंगे।

ई.ओ.सी. का दूरभाष नम्बर 0294–2414620 (टोल फ्री 1077) है। जिस पर सूचना का आदान–प्रदान किया जा सकता है। सूचनाओं के आदान–प्रदान का रिकार्ड रखने हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा, जिसकी समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा जांच की जायेगी। नियंत्रण कक्ष में प्रतिदिन सूचना प्राप्त कर जिले की संकलित सूचना प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार संबंधित उच्च अधिकारियों को भिजवायेंगे।

नोटः– वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलक्टर नगर, उदयपुर के निर्देशन में जिला कलक्टर कार्यालय के कमरा न0 102 में संचालित बाल विवाह कन्ट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिक कार्य के साथ–साथ उक्त कार्य भी संपादित करेगें।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. संभागीय आयुक्त उदयपुर
4. जिला प्रमुख जिला परिषद्, उदयपुर
5. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
6. आयुक्त नगर निगम, उदयपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उदयपुर
8. श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर।
9. अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर), उदयपुर को भेजकर लेख है की नियत्रंण कक्ष में (24X7 Round The Clock) हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों का तत्काल अधिग्रहण कर नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. जिला रसद अधिकारी (शहर/ग्रामीण), उदयपुर
11. उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर
12. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
13. उपखण्ड अधिकारी .... जिला उदयपुर।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर ।
15. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक उदयपुर
16. समस्त तहसीलदार .... जिला उदयपुर।
17. विकास अधिकारी पंचायत समिति... जिला उदयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Namit Mehta
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.30 15:40:20 IST
Reason: Approved

18. अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/अजमेर विद्युत वितरण निगम लि./जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग जिला खण्ड प्रथम (खैरवाड़ा)/द्वितीय, उदयपुर/खण्ड सलुम्बर/खण्ड वल्लभनगर/खण्ड कोटड़ा।
20. अधिशाषी अभियन्ता, कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर
21. अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई जिला खण्ड उदयपुर/खण्ड सलुम्बर/जाखम परियोजना धरियावद।
22. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग .... उदयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, ... उदयपुर।
24. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
25. अधीक्षक महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर।
26. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति अनाज उदयपुर ।
27. महा. प्रबन्धक, दूर संचार निगम लि./डाक तार विभाग, उदयपुर।
28. डिवीजनल कमान्डेन्ट/डिप्टी कमान्डेन्ट होमगार्ड, उदयपुर।
29. आगार प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि., उदयपुर।
30. उपनिदेशक, पशुपालन/मत्स्य विभाग, उदयपुर।
31. उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास परियोजना अधिकारी
32. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सलुम्बर/फतहनगर–सनवाड़/भीण्डर/कानोड़।
33. सर्कल ऑर्गेनाईजर, राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाईड, उदयपुर।
34. उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा, उदयपुर।
35. सहायक निदेशक कृषि विस्तार उदयपुर ।
36. सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, उदयपुर।
37. अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र अशोकनगर, उदयपुर।
38. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर।
39. निरीक्षण, कारखाना एवं बायलर्स, उदयपुर।
40. कम्पनी कमाण्डर, राज्य आपदा प्रतिसात बल, पुलिस लाईन, उदयपुर।
41. प्रभारी अधिकारी मौसम विभाग, डबोक उदयपुर
42. श्री बलवीर सिंह राठौर, ब्लॉक कॉर्डिनेटर साक्षरता, वल्लभनगर, उदयपुर।
43. प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0.. ।
44. कार्मिक श्री ....
45. निजी सहायक, जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर।
46. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Namit Mehta
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.30 15:40:20 IST
Reason: Approved

कार्यालय अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Telephone No.0294-2413278, E-mail ID: oicreliefudaipur@gmail.com

क्रमांक : एफ14( )12/आ.प्र.सहा. एवं ना.सु./2024/ 131 दिनांकः– 01/04/2025

प्रेषिति :–

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर (राज.)

विषयः– राज्य में हीट वेव प्रबंधन के लिए नोडल हीट अधिकारी नामित किये जाने हेतु।
प्रसंगः– श्रीमान का पत्रांक राजकाज 14444916 दिनांक 28.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्रांक के क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, नई दिल्ली द्वारा हीट वेव प्रबधन–2025 के लिए उदयपुर जिला स्तर से (एडीएम स्तरीय) नोडल अधिकारी की सूचना चाही गई है जो निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	मो0न0	टेलिफोन (कार्यालय)	ई– मेल
1	दीपेन्द्र सिंह राठौर	अति. जिला कलक्टर(प्रशासन)	9571973272	0294–2413278	dm-udari@nic.in

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.01 15:57:54 IST
Reason: Approved

C:\Users\ACER\Desktop\Word Files\Dmis LAtters 2022.docx

RajKaj Ref No.: 14507761

राजस्थान सरकार

कार्यालय अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

Telephone No.0294-2413278, E-mail ID: oicreliefudaipur@gmail.com

क्रमांकः एफ.12सहायता/विविध–ए/2024/ 189 दिनांकः /04/2024

प्रेषिति :–

1. आयुक्त नगर निगम, उदयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, उदयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी समस्त, उदयपुर।
4. सयुक्त श्रम आयुक्त उदयपुर।
5. तहसीलदार समस्त, उदयपुर।
6. उपनिरिक्षक, कारखाना एंव बोयलर्स निरीक्षण विभाग उदयपुर।

विषयः– Regarding necessary instructions/directions to the employers/construction companies/industries for effective management of heat wave condition

प्रसंगः– श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर के पत्रांक दिनांक 24.04.2024 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर द्वारा आपके क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को इस वर्ष सामान्य से अधिक रहने वाले तापमान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए संलग्न प्रासंगिक पत्र में आवश्यक दिशा–निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

मांकः–एफ.14(13)(4)वीआईपी पत्र/श्रम/विधि/2023 जयपुर, दिनांकः

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषय–Regarding necessary instructions/directions to the employers /construction companies/industries for effective management of heat wave conditions.

प्रसंग–सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अ0शा0पत्र क्रमांक जेड–16025/20/2023/आईएसएच–द्वितिय दिनांक 12.04.2024

सहायता
25.04.24

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इस वर्ष सामान्य से अधिक रहने वाले तापमान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए संलग्न प्रासंगिक पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(करण सिंह)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.14(13)(4)वीआईपी पत्र/श्रम/विधि/2023 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अ0शा0पत्र क्रमांक जेड–16025/20/2023–आईएसएच–द्वितीय दिनांक 12.04.2024 के क्रम में।
2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके डायरी क्रमांक 3365/क्लियर्स दिनांक 16.04.2024 के क्रम में।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ई.एस.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ।
5 उप शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6 संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप जिला कलक्टर से समन्वय कर उक्त कार्यवाही सम्पादित करवाते हुए इस कार्यालय को रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6750702

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh
Designation: Commissioner
Date: 2024.04.24 21:07:38 IST
Reason: Approved

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर
प्राप्ति संख्या 3365/clears
दिनांक 16/04/2024

Secy labour

सुमिता डावरा, आई०ए०एस०
भारत सरकार के सचिव
SUMITA DAWRA, I.A.S.
Secretary to Govt. of India

सत्यमेव जयते

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI - 110001

(Sudhansh Pant)
Chief Secretary
15/04/24

श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
Tele : 91-11-23 71 02 65
E-mail : secy-labour@nic.in

D.O.No.Z-16025/20/2023-ISH-II

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर
प्राप्ति संख्या ....

April 12, 2024

Dear Chief Secretary,

The seasonal outlook issued by Indian Metrological Department (IMD) on temperature for Hot Weather Season during current year indicates above normal maximum temperatures most likely over most parts of country. Therefore, effective steps need to be taken for management and mitigation of adverse effects of extreme hot weather through a multi-sectoral and multi-dimensional administrative approach.

2. In this regard, I would like to draw your attention to the DO letters dated 29th February 2024 and 06th March 2024 of the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare and of Joint Secretary, National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs respectively outlining the steps to be taken for heatwave preparedness, management and mitigation (copies enclosed for ready reference).

3. One segment which requires special attention during heat wave conditions are workers and labourers working in different sectors. It is imperative that effective strategies are put in place to ensure preparedness and effective management of impact of heat wave conditions on this segment. In this regard, it is requested that necessary instructions/ directions may be issued to the employers / construction companies / industries to undertake the following:-

i. Re-scheduling of working hours for employees / workers in different sectors,

ii. Ensuring necessary arrangements to regulate piece rate and requirement / urgency for undertaking physical work during summer,

iii. Ensuring adequate drinking water facilities at work places,

iv. Making provision for emergency ice packs and heat illness prevention material to construction workers,

v. Coordinating with Health Department to ensure regular health check-up of the workers,

vi. Ensuring adherence to Health Advisory issued by M/o Heath & Family Welfare for Employers and Workers.

Mail forwarded

of Mines for

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

नांकः–एफ.14(13)(4)वीआईपी पत्र/श्रम/विधि/2023 जयपुर, दिनांकः

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषय–Regarding necessary instructions/directions to the employers /construction companies/industries for effective management of heat wave conditions.

प्रसंग–सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अ0शा0पत्र क्रमांक जेड–16025/20/2023/आईएसएच–द्वितिय दिनांक 12.04.2024

सहायता
15.04.24

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को इस वर्ष सामान्य से अधिक रहने वाले तापमान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए संलग्न प्रासंगिक पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(करण सिंह)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.14(13)(4)वीआईपी पत्र/श्रम/विधि/2023 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अ0शा0पत्र क्रमांक जेड–16025/20/2023–आईएसएच–द्वितीय दिनांक 12.04.2024 के क्रम में।
2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके डायरी क्रमांक 3365/क्लियर्स दिनांक 16.04.2024 के क्रम में।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ई.एस.आई.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ।
5 उप शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6 संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप जिला कलक्टर से समन्वय कर उक्त कार्यवाही सम्पादित करवाते हुए इस कार्यालय को रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।

श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6750702

Signature valid
Digitally signed by Karan Singh
Designation: Commissioner
Date: 2024.04.24 21:07:38 IST
Reason: Approved

सुमिता डावरा, आई०ए०एस०
भारत सरकार के सचिव
SUMITA DAWRA, I.A.S.
Secretary to Govt. of India

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
SHRAM SHAKTI BHAVAN
NEW DELHI - 110001

श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली-110001
Tele : 91-11-23 71 02 65
E-mail secy-labour@nic.in

3365/clears
16/04/2024

(Sudhansh Pant)
Chief Secretary
15/04/24

D.O.No.Z-16025/20/2023-ISH-II

मुख्य सचिव कार्यालय
राजस्थान, जयपुर

April 12, 2024

Dear Chief Secretary,

The seasonal outlook issued by Indian Metrological Department (IMD) on temperature for Hot Weather Season during current year indicates above normal maximum temperatures most likely over most parts of country. Therefore, effective steps need to be taken for management and mitigation of adverse effects of extreme hot weather through a multi-sectoral and multi-dimensional administrative approach.

2. In this regard, I would like to draw your attention to the DO letters dated 29th February 2024 and 06th March 2024 of the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare and of Joint Secretary, National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs respectively outlining the steps to be taken for heatwave preparedness, management and mitigation (copies enclosed for ready reference).

3. One segment which requires special attention during heat wave conditions are workers and labourers working in different sectors. It is imperative that effective strategies are put in place to ensure preparedness and effective management of impact of heat wave conditions on this segment. In this regard, it is requested that necessary instructions/ directions may be issued to the employers / construction companies / industries to undertake the following:-

i. Re-scheduling of working hours for employees / workers in different sectors,

ii. Ensuring necessary arrangements to regulate piece rate and requirement / urgency for undertaking physical work during summer,

iii. Ensuring adequate drinking water facilities at work places,

iv. Making provision for emergency ice packs and heat illness prevention material to construction workers,

v. Coordinating with Health Department to ensure regular health check-up of the workers,

vi. Ensuring adherence to Health Advisory issued by M/o Heath & Family Welfare for Employers and Workers.

Mail forwarded

4. Further, instructions may also be issued to the Managements of Mines for the following: -

i. Slowing down the pace of work should be allowed, especially if the worker feels even slight heat strain,

ii. Rest areas should be located as near to the workplace as practicable,

iii. Ensure that adequate quantity of cool water and electrolyte supplements are easily available,

iv. In really hot conditions, workers should drink at least a glass of water every 15-20 minutes,

v. Different schedules may be negotiated to let workers do the hardest work during the coolest parts of the day,

vi. Rest timings may be re-scheduled to avoid work during high / extremely hot temperatures. Where this is not possible, a two-person crew should be assigned to perform work during extremely hot temperatures,

vii. It must be ensured that workers do not enter/work in an atmosphere having no ventilation or inadequate ventilation in underground mines,

viii. Workers must be made aware of the dangers from excessive heat and humidity and remedial measures.

5. Apart from factories and mines, special attention also needs to be paid to construction workers, and brick kiln workers. For awareness of daily wage / casual workers, information dissemination in respect of above guidelines may also be undertaken at the Labour Chowks.

6. Your personal attention in the matter is solicited so that workers / labourers are protected from the adverse effects of the heat wave in the ensuing hot weather in your State / UT.

with regards,

Yours sincerely,

Sumita Dawra

(Sumita Dawra)

Encl: As above.

Chief Secretary/Administrator of all States / UTs

अस्पताल में प्र्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0, आई0वी0 ड्रीप सेट एंव आईस पैक्स की व्यव्स्था की जॉच संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा

अस्पताल में प्र्याप्त मात्रा लॉजिस्टिक एंव इवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करते संबंधित उपखण्ड अधिकारी

चिन्हित स्थलों पर शीतल पेयजल, आश्रय स्थल, छाछ आदि की व्यवस्था की गई